



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनांक 14.12.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 205 व 206/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही से चोरी की हुई लोहे की चैन-लिंक फैन्सिंग मय एंगल जाली वजन करीब 06 क्विंटल तथा घटना में प्रयुक्त टैम्पू (तीन पहिया) नं0 DL-1LAP-4225 व तार काटने का सामान बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.12.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी उमेश पुत्र श्री रामविलास निवासी ग्राम बाराभारी थाना खैराबाद जनपद सीतापुर हाल निवासी मैनेजर एनसीआर ईस्टर्न



पेरिफैरल एक्सप्रेसवे प्र0लि0 भा0रा0रा0प्रा0 टी-एम बिल्डिंग डासना जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 12.12.2025 को रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम लहचौडा ईस्टर्न पेरिफैरल एक्सप्रेसवे पर लगी लोहे की चैन लिंक-फैन्सिंग को काटकर चोरी कर लिया गया है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 205/2025 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 206/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205 व 206/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए

05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही से चोरी की हुई लोहे की चैन-लिंक फैन्सिंग मय एंगल जाली वजन करीब 06 क्विंटल तथा घटना में प्रयुक्त टैम्पो (तीन पहिया) नं० DL-1LAP-4225 व तार काटने का सामान बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

- 1-आकाश पुत्र रिकू निवासी संगम विहार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2-शिवा पुत्र रमेश निवासी राम विहार बन्धला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 3-योगेश पुत्र जवाहर सिंह निवासी संगम विहार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 4-तुषार पुत्र कालीचरण निवासी लोनी मंगल बाजार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 5-अजय पुत्र उदयवीर निवासी आर्य नगर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- लोहे की चैन लिंक-फैन्सिंग वजन करीब 80 किलोग्राम (सम्बन्धित मु०अ०सं० 205/2025 धारा 303(2) बीएनएस)
- लोहे की चैन लिंक-फैन्सिंग वजन करीब 05 क्विंटल व चोरी में प्रयुक्त वाहन टैम्पो नं० DL-1LAP-4225 व तार काटने से सम्बन्धित सामान (सम्बन्धित मु०अ०सं० 206/2025 धारा 303(2) बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3-उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4-है०का० 349 नरेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 5-का० 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 6-का० 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 7-का० 751 शादाब खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 14.12.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/25 धारा 109(1)/352/3(5) बी.एन.एस.में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.10.2025 को थाना छपरौली पर वादी सौरब उर्फ मोनू पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मनीश, 2.सनी पुत्रगण महीपाल, 3.महीपाल पुत्र अतल सिंह निवासीगण ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा उसके चचेरे भाई अंकुश को जान से मारने की नीयत से पलकटी से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 266/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 266/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

महिपाल पुत्र अतल निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।
- 2-का० 687 दीपक थाना छपरौली ।
- 3-का० 594 सरफराज थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनांक 14.12.2025

थाना छपरौली पुलिस ने एक जिला बंदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबंदर होने के उपरान्त भी मा० न्यायालय के निर्देशों



का उल्लंघन करते हुए जिलाबंदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 298/25 धारा 3/10 गुन्डा अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-है०का० 110 सुबोध थाना छपरौली जनपद बागपत ।

